बुज़ुर्गों के लिये जानकारी

यह बुज़ुर्गों के लिये जानकारी पर्चों की कड़ी में से एक है। अन्य पर्चे निम्न हैं:

- *बुज़ुर्गों के प्रति अनुचित व्यवहार व उपेक्षा - क्या यह एक अपराध है?*
- *पुलिस को अपराधों की रिपोर्ट करना तथा रिपोर्ट करने के बाद क्या होता है*
- *बुज़ुर्गों के प्रति अनुचित व्यवहार व उपेक्षा तथा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम*
- *कानूनी सहायता कहाँ से लें*
- *अनुचित व्यवहार व उपेक्षा की अडल्ट गार्डियनशिप एक्ट भाग 3 के अंतर्गत रिपोर्ट*

अपने जीवन कार्यों के प्रबन्ध में अपनी सहायता के लिये अन्य लोगों को अधिकार देना

जब बिलों का भुगतान करना होता है तथा फॉर्म भरने होते हैं तो दुनिया और भी जटिल होती दिखाई देती है। हममें से बहुत इस बात की चिंता करते हैं कि यदि हम बीमार या असमर्थ हो गये तो हम अपने जीवन कार्यों का प्रबंध कैसे करेंगे।

अपने धन संबंधी कार्यों का प्रबंध करने के लिए किसी को औपचारिक या अनौपचारिक तरीके से अनुमति दी जाती है। उदाहरण के लिए, आप अपने बैंक, क्रैडिट यूनियन या ट्रस्ट कम्पनी से बात करके शुरुआत कर सकते हैं कि बिलों की अदायगी करने में किस प्रकार की सेवा उपलब्ध है। या, अपने मित्र या परिवार के सदस्य को सहायता के लिए पूछें। हो सकता है कि वे आपको सारी आवश्यक सहायता दे सकें।

यदि आपने अधिक औपचारिक कदम उठाने का फैसला किया है, तो यह सूचना-पर्चा कुछ सामान्य विकल्पों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इनमें से सभी सहायक हो सकते हैं लेकिन, वे हानिकर भी हो सकते हैं। इस पर्चे के अंत में साधनों की सूची दी गई है, उस की सहायता से कुछ खोजबीन करें। प्रश्न पूछें। अपनी जरूरतों की व्यख्या करें तथा एक से अधिक व्यक्तियों से सलाह लें।

संयुक्त बैंक खाता – अधिकतर बुजुर्ग अपने पैंशन चैक अपने बैंक में जमा करवाते हैं तथा हर महीने इस खाते से बिलों की अदायगी करते हैं। जो धन के प्रबंध में आपकी सहायता कर रहा है वह आपके खाते को दोनों के नामों वाले खाते में बदलने की सलाह दे सकता है। यदि आप यह करने का फैसला करते हैं, किसी भरोसेमंद व्यक्ति को चुनें क्योंकि आप दोनों को ही आपके धन से बिलों की अदायगी तथा धन निकालने का अधिकार प्राप्त हो जायेगा। संयुक्त स्वामित्व में और भी कई उलझने है जो कि निम्नलिखित अनुच्छेद [पैराग्राफ] में दिखाई गई हैं।

परिसम्पत्ति का संयुक्त स्वामित्व – जो बुजुर्ग अपने जीवन कार्यों को ठीकठाक करना चाहते हैं, प्रमाणित वसीयत की जरूरत तथा मृत्यु के समय प्रमाणित वसीयत को बनाने के खर्च से बचने के लिये अक्सर अपनी परिसम्पत्ति को संयुक्त स्वामित्व में रखते हैं। लेकिन, इससे समस्यायें पैदा हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने पुत्र को अपने घर का संयुक्त स्वामी बनाते हैं, तो आप अपनी सम्पत्ति के बारे में कुछ भी करने की स्वतंत्रता खो बैठते हैं। और भी, घर का स्वामित्व उसको आपकी मृत्यु पर मिलेगा। संयुक्त स्वामित्व वाली सम्पत्ति साधारणतया आपकी संपदा का हिस्सा नहीं बनती जिसे आपकी वसीयत के अनुसार विभाजित किया जा सके। हो सकता है आप यह न चाहते हों, यदि आपके दूसरे बच्चे या हिताधिकारी हैं।

पॉवर ऑव अटर्नी – आप किसी अन्य व्यक्ति या व्यापार जैसे कि ट्रस्ट कम्पनी को अपने वित्तीय या व्यापारिक कार्यों के प्रबंध का अधिकार पॉवर ऑव अटर्नी के द्वारा दे सकते हैं। यह अधिकार निम्न हो सकते हैं:

- विशेष, जैसे कि केवल बैंक का काम या पैंशन चैक को भुनाना, या
- आम, जिसका अर्थ है कि आप व्यक्ति या व्यापार को अपने सारे वित्तीय या व्यापारिक कार्यों के प्रबंध का उत्तरदायित्व व अधिकार देते हैं।

अपने मुख्तार को सब कार्यों का लेखा रखने को कहें। आपका मुख्तार आपके एजेंट के रूप से काम करता है तथा उसे आपकी ओर से की गई कार्यवाहियों को आपकी सलाह से करना चाहिये या आपको उनकी रिपोर्ट देनी चाहिये।

प्रतिनिधित्व का राजीनामा - पॉवर ऑव अटर्नी से भिन्न, प्रतिनिधित्व के राजीनामा में व्यक्तिगत तथा स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लेना साथ ही साथ धन संबंधी कार्यों का प्रबंध करना भी सम्मिलित है। आप [निम्न] के साथ अपने प्रतिनिधित्व का राजीनामा बना सकते हैं:

- प्रमाणित अधिकार – जो आपके प्रतिनिधि को यदि अब आप इस योग्य नहीं हैं आपकी ओर से धन कार्यों को संभालने जैसे बैंक के कार्य, बिलों की अदायगी के साथ कुछ सेहत व व्यक्तिगत देखभाल के फैसले करने का अधिकार देता है।
- अतिरिक्त अधिकार जो आपके प्रतिनिधि को आपके लिए भू-सम्पदा का क्रय-विक्रय करने, आपका व्यापार चलाने या सेहत संबंधी कुछ बहुत गंभीर फैसले जैसे जीवन अवलम्बन [लाइफ सपोर्ट] व इलाज करने से मना करने का अधिकार देता है।

आपकी ओर से निर्णय लेने से पहले प्रतिनिधि को आपकी सलाह अवश्य लेनी चाहिये, उसे ईमानदारी से सारे काम करने चाहिये तथा सब बातों का लेखा रखना चाहिये। आपका प्रतिनिधि सब काम ठीक प्रकार से कर रहा है यह देखने के लिये आप एक प्रबोधक [मॉनिटर] भी रख सकते हैं।

जब आप प्रतिनिधि बनाते हैं या पॉवर ऑव अटर्नी देते हैं तो **आप अपने फैसले स्वयं करने या अपने कार्यों का स्वयं प्रबंध करने का अधिकार नहीं देते हैं** और जबतक आप अपने फैसले करने के योग्य हैं आप कभी भी इन कागजातों को बदल या रद्द कर सकते हैं।

साधन (इन साधनों पर अधिक जानकारी के लिए *कानूनी सहायता कहाँ से लें* पर्चा भी देखें)

- बीसी सी ई ए एस – कानूनी जानकारी व हवाले के लिए, फोन करें (604) 437-1940 या टौल फ़्री 1-866-437-1940; कानूनी जानकारी के लिये उनकी वैबसाइट www.bcceas.ca देखें।
- डायल-ए-लॉ - कानून के बारे में टेप किए गए संदेश हैं जो कि आप फोन पर सुन सकते हैं: (604) 687-4680 या टौल फ़्री 1-800-565-5297
- लॉयर रैफरल सर्विस – एक वकील के साथ $25 में 30 मिनट तक की मंत्रणा कर सकते हैं। फोन (604) 687-3221 या टौल फ़्री 1-800-663-1919
- पीपल्ज़ लॉ स्कूल - पॉवर ऑव अटर्नी व दूसरे संबंधित विषयों के बारे में प्रकाशन देखने के लिए उनकी वैबसाइट www.publiclegaled.bc.ca देखें
- पब्लिक गार्डियन एंड ट्रस्टी ऑव बीसी – जो लोग अपने कार्य स्वयं नहीं कर सकते उनके लिए जानकारी व सहायता तथा प्रतिनिधि व मुख्तार के बारे में शिकायतों की जाँचः (604) 660-4444। इनकी वैबसाइटपर इनके प्रकाशन *हाउ यू कैन हैल्प पीपल मैनेज फायनैंसिज़ एंड मैटर्ज़ वेंन दे कैननौट मैनेज ऑन देयर ओन* देखें www.trustee.bc.ca।
- रिप्रजैन्टेशन एग्रीमैंट रिसोर्स सैंटर – फोन (604) 408-7414; प्रतिनिधित्व-राजीनामा पर जानकारी के बारे में इनकी वैबसाइट www.rarc.ca देखें।